



## पीएम स्वनधियोजना

### प्रलिस के लयः

पीएम स्वनधियोजना, आतमनरिभर भारत अभयान, शहरी स्थानीय नकलय

### मेन्स के लयः

सूकषम वतित, इसका महत्त्व और संबधति पहल

## चर्चा में क्यौं?

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आतमनरिभर नधि (Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi- PM-SVANidhi) योजना के अंतरगत 1 जून, 2020 को आरंभ होने के बाद से तीन वर्षों में स्ट्रीट वेंडर्स को 46.54 लाख से अधिक सूकषम कार्यशील पूंजी ऋण वतितरति कयि गए हैं।

- कुल 46,54,302 ऋण वतितरति कयि गए। इन ऋणों में से अब तक लगभग 40% (18,50,987) का भुगतान कयि जा चुका है

## पीएम स्वनधियोजना:

### परचियः

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात् यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वतितपोषति योजना है, इसके नमिनलखिति उद्देश्य हैं:
  - कार्यशील पूंजी ऋण की सुवधि उपलब्ध कराना
  - नयिमति पुनर्भुगतान को प्रोत्साहति करना
  - डजिटिल लेन-देन हेतु पुरस्कृत करना
- क्रमशः 10,000 रुपए और 20,000 रुपए के पहले एवं दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपए तक के तीसरे सावधि ऋण की शुरुआत की गई है।
- यह ऋण संपारशवकि या कोलेट्रल के बनिा प्रदान कयि जाएगा।

### ऋण देने वाली एजेंसियाँ:

- सूकषम वतित संस्थाओं, गैर-बैंकगि वतित्तीय कंपनी, स्वयं सहायता समूहों को उनकी ज़मीनी स्तर पर उपस्थति एवं स्ट्रीट वेंडर्स सहति शहरी गरीबों से नकिटता के कारण अनुमति दी गई है।

### पात्रता:

- राज्य और केंद्रशासति प्रदेशः
  - यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों के लाभार्थियों के लयि उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीवकिा का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडगि का वनियिमन) अधनियिम, 2014 के तहत नयिम और योजना अधसिचति की है।
  - हालाँकि भिघालय, जसिका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, के लाभार्थी भाग ले सकते हैं।
- स्ट्रीट वेंडर्सः
  - यह योजना शहरी क्षेत्रों में वेंडगि कार्य में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लयि उपलब्ध है।
    - इससे पहले यह योजना 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले वेंडगि में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लयि उपलब्ध थी।

### जल्दी चुकौती के लाभः

#### ब्याज सबसडिी:

- ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती पर छह मासकि आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रतविरष की ब्याज सबसडिी जमा की जाएगी।
- करेडिट सीमा वसितारः
- इस योजना में ऋणों के समय पर/जल्दी चुकौती पर ऋण सीमा में वृद्धिका प्रावधान है, अर्थात् यदकि कोई स्ट्रीट वेंडर समय पर

या उससे पहले कश्तों का भुगतान करता है, तो वह अपना क्रेडिट स्कोर वकिसति कर सकता है जो उसे अधिक राश के सावधि ऋण के लिये पात्र बनाता है।

- **जलद चुकौती पर कोई पेनल्टी न होना:**
  - समय से पहले ऋण चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
  - जलद चुकौती (या पुनर्स्थापन) नरिधारति समय से पहले ऋण या उधार की नकिसी है।
  - कई बैंक और ऋणदाता समय से पहले ऋण चुकाने पर पेनल्टी वसूलते हैं।
- **डजिटल लेन-देन को बढ़ावा:**
  - यह योजना कैंस बैंक के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा कयि जाने वाले मासकि डजिटल हस्तांतरण को प्रोत्साहति करती है।
- **पारदर्शति:**
  - **प्रभावी वतिरण एवं पारदर्शति सुनश्चिति करने हेतु** प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के दृष्टिकोण के अनुरूप योजना को **एंड-टू-एंड समाधान के साथ संचालति करने के लिये वेब पोर्टल/मोबाइल एप** के साथ एक डजिटल प्लेटफॉर्म हेतु वकिसति कयि जा रहा है।
    - यह प्लेटफॉर्म क्रेडिट प्रबंधन के लिये **SIDBI के उद्यमी मित्त्र (UdyamiMitra) पोर्टल** और MoHUA के पैसा (PAISA) पोर्टल के साथ स्वचालति रूप से ब्याज सब्सडि को प्रशासति करने के लिये वेब पोर्टल/मोबाइल एप को एकीकृत करेगा।
- **वत्तीय समावेशन:**
  - यह वकिरेताओं को औपचारकि वत्तीय प्रणाली में एकीकृत करने में मदद करेगा।
- **क्षमता नरिमाण पर ध्यान:**
  - MoHUA राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश में सभी हतिधारकों एवं सूचना, शकिषा व संचार (IEC) गतविधियों के लिये क्षमता नरिमाण और वत्तीय साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ करेगा
- **शहरी स्थानीय नकियाँ (ULB) की भूमकि:**
  - ULB लाभार्थी को लक्षति करना और कुशल तरीके से उन तक पहुँच सुनश्चिति करके योजना के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमकि नभिएंगे।

## स्ट्रीट वेंडर/हॉकर:

- कोई भी वयक्ति जो कसिी सड़क, फुटपाथ आदि में अस्थायी, नरिमति संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर दैनकि उपयोग के सामान, वस्तु, खाद्य पदार्थ या माल बेचने तथा जनता को सेवाएँ देने में लगा हुआ है।
- उनके द्वारा आपूर्तिकी जाने वाली वस्तुओं में सबजियों, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, बरेड, अंडे, कपड़ा, वस्त्र, कारीगर उत्पाद, कतिबे/स्टेशनरी आदि शामिल हैं और सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएँ आदि शामिल हैं।
- भारत में लगभग 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है।
  - उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8.49 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या 7.04 लाख है।
  - दलिली में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या केवल 72,457 है।
  - सकिमि में कोई भी स्ट्रीट वेंडर नहीं है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. क्या लैंगकि असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वत्ति (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। (2021)

प्रश्न. भारतीय अर्थव्यस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारकि क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारकिता देश के विकास के लिये हानिकारक है? (2016)

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस